

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 511]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 5 नवम्बर 2014—कार्तिक 14, शक 1936

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 नवम्बर 2014

अधि. क्र. 97-एफ-1-11-2013-अठारह-3-शुद्धि-पत्र.—नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 81 एफ 1-11-2013-अठारह-3, दिनांक 16 अक्टूबर 2014 नगरपालिक निगम, कटनी, जिला कटनी के लिये आरक्षित वार्डों की सूची जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 16 अक्टूबर 2014 में प्रकाशित की गई है, के पृष्ठ क्रमांक 972 पर कालम क्रमांक 4 में अंकित “41 आचार्य कृपलानीव वार्ड” के स्थान पर “41 आचार्य कृपलानी वार्ड” पढ़ा जावे.

अधि. क्र. 98-एफ-1-11-2013-अठारह-3-शुद्धि-पत्र.—नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 82 एफ 1-11-2013-अठारह-3, दिनांक 16 अक्टूबर 2014 नगर परिषद् कैमोर, जिला कटनी के लिये आरक्षित वार्डों की सूची जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 16 अक्टूबर 2014 में प्रकाशित की गई है, अधिसूचना के पृष्ठ क्रमांक 972(1) पर क्रमांक 3 कॉलम क्रमांक 4 “11 में इंदिरा गांधी वार्ड के स्थान पर श्रमिक नगर” एवं क्रमांक 6 कालम क्रमांक 4 “11 इंदिरा गांधी वार्ड” के स्थान पर “श्रमिक नगर वार्ड” पढ़ा जावे.

अधि. क्र. 99-एफ-1-11-2013-अठारह-3-शुद्धि-पत्र.—नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 84 एफ 1-11-2013-अठारह-3, दिनांक 16 अक्टूबर 2014 नगर परिषद् विजयराधवगढ़, जिला कटनी के लिये आरक्षित वार्डों की सूची जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 16 अक्टूबर 2014 में प्रकाशित की गई है, अधिसूचना के पृष्ठ क्रमांक 972(2) पर क्रमांक 6 कालम क्रमांक 4 “02 पचमझ वार्ड” के स्थान पर “02 पचमठा वार्ड” पढ़ा जावे.

अधि. क्र. 100-एफ-1-11-2013-अठारह-3-शुद्धि-पत्र.—नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 79 एफ 1-11-2013-अठारह-3, दिनांक 10 अक्टूबर 2014 नगर परिषद् मेघनगर जिला झाबुआ के लिये आरक्षित वार्डों की सूची जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 10 अक्टूबर 2014 में प्रकाशित की गई है, अधिसूचना के पृष्ठ क्रमांक 956(196) पर क्रमांक 6 अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड के सामने (कालम क्रमांक 4) “10 तात्या टोपे वार्ड” के स्थान पर “06 डॉ. अशफाक उल्ला वार्ड” पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, उपसचिव.